पत्रांक / ४ /आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 /15–16/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून :: 30 अप्रैल 2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

विषय–पंजीकृत संविदाकारों का टिन समाप्त करने तथा बिना अनुबन्ध/टेण्डर मिले पंजीयन प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या 5355 दिनांक 18.02.2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से यह निर्देश दिये गये थे कि यदि किसी संविदाकार द्वारा मात्र टेण्डर डालने हेतु पंजीयन लिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में पंजीयन जारी न किया जाये ।

पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दूरस्थ क्षेत्र के ठेकदारों को उक्त निर्देश जारी होने के उपरान्त असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में प्राप्त अध्यक्ष टैक्स बार एसोसिएशन जनपद चमोली के पत्र दिनांक 22.04.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि जो संविदाकार नियमित रूप से वैट विवरणी दाखिल नहीं कर रहें हैं और व्यवसाय भी नहीं कर रहे हैं उनका पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है परन्तु ऐसे संविदाकार जो कि नियमित रूप से त्रैमासिक विवरणी दाखिल कर रहें हैं और विभागीय नियमों का पालन भी कर रहें हैं उनका पंजीयन निरस्त न किया जाय।

अतः सम्यक विचारोपरान्त मुख्यालय के पत्र संख्या 5355 दिनांक 18.02.2015 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये आदेश दिये जाते हैं कि ऐसे संविदाकार जो कि विगत कई वर्षों से पंजीकृत है परन्तु उनके द्वारा कोई विवरणी दाखिल नहीं की जा रही है तथा आदेश फलक पर करमुक्त हो रहे हैं उन पर मुख्यालय के पत्रांक 474 दिनांक 27.04.2015 के द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाय तथा जिन संविदाकारों द्वारा अपने कार्य संविदा के सम्बन्ध में नियमानुसार विवरणी दाखिल की जा रही है चाहें शून्य आवर्त की विवरणी ही दाखिल क्यों न हो, उनके सम्बन्ध में पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही न की जाय।

आवश्यक कार्यवाही करें
925

v/notification/15-16/27415/3